

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)

2019/00276

अदालत

नियम

खसरा

बनाम

तहसीलदार

कसम मुकदमा

131, 136 R-L Raet

नं.....(14).....

सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.08.19	राज्य सरकार की ओर से सरकारी पैसैकार उपस्थित। वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 130, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59, 60, 66, 86 भू-अभिलेख नियम 1970 के तहत भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा के द्वारा सम्बन्धित खसरे के खातेदारान के विरुद्ध पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की प्रकरण राजस्व विविध दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण खातेदारान को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तामिल/जबाब दिनांक 20.8.19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
20/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. कार्यालय आज भ्रमण पर होने से पत्रावली दिनांक 31/8/19 को पेश की गई। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
31/8/19	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की ग्राम जोरावास का भूखण्ड खसरा नं 268 नम्बर सेटलमेंट सरकारी भूमि थी, जो आपग-आपग व्यक्तियों को आवंटन/नियमन हुई। तथा वर्तमान से 79.14 बीघा भूमि आवंटन/नियमन से अवरोध रही जो वर्तमान से हटा करजा है।	

कहजा है। खातेयारी धूम्र की संयुक्त परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरतीम करने पर सरकारी धूम्र मौके पर चार अलग-अलग टुकड़ों में अर्थात् 15.03, 8.02, 16.02, 40-07 बीघा है। जब कि वर्तमान रेकॉर्ड में सरकारी धूम्र का एक ही खलता न. 268 रकबा 79.14 है। अतः संयुक्त परिशिष्ट 'ब' अनुसार ख.न. 268 के चार बड़ा न 268 'अ' रकबा 15.03, 268 व रकबा 8.02 268 'ख' रकबा 16.02, 268 'ग' रकबा 40-07 बीघा रकबा करने का आदेश देने का निवेदन किया।

सरकारी धूम्र से सम्बन्धित प्रश्न होने से कोई विप्रथमि नही है। प्रार्थी के प्रपिना पत्र पर मनन किया गया मौके पर सरकारी धूम्र संयुक्त परिशिष्ट 'ब' अनुसार पत्र टुकड़ों में है। जबकि वर्तमान जमाव में सरकारी धूम्र का एक ही खलता न. 268 रकबा 79.14 बीघा का है। अतः प्रार्थी के परिशिष्ट 'ब' अनुसार जभावनी होना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी के प्रपिना पत्र स्वीकार किया जाकर परिशिष्ट 'ब' में शर्त अनुसार ख.न. 268 के चार बड़ा न रकबा

✓

क्रमांक: 15-03, 8-02, 16-02, 40-07
वर्ज किए जाने का आदेश दिया
जाता है। नहलीलदार पत्रपत्रा को
आदेशित किया जाता है। इसी
अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल
शामल करें।

पत्रावली में समय सुमार टोकर
शामल दफ्तर हो।

आदेश रुपये - पायापय में
सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा